

इसे वेबसाइट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राज्यपाल

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 478 ]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 नवम्बर 2016—अग्रहायण 9, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

घोषणा

(नियम-6)

क्र. एफ-21-7-2014-एक-10.—यतः; यह अभिकथित किया गया है कि श्री बाबूलाल गोमर, पटवारी, हल्का नं. 3 तहसील तराना, जिला उज्जैन ने मध्यप्रदेश राज्य में पटवारी हल्का नं. 3 तहसील तराना, जिला उज्जैन का पद धारण करते हुये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) के अधीन अपराध किया है और अपराध क्रमांक 55 सन् 2012 को मामले का अन्वेषण किया गया था;

और, यतः; अभिलेख में उपलब्ध सुसंगत सामग्री की छानबीन करने पर, राज्य सरकार की राय है कि श्री बाबूलाल गोमर पर, जिसने भ्रष्ट साधनों का सहारा लेकर अपनी आय के ज्ञात स्रोत से अननुपातिक संपत्तियां संचित की हैं, प्रथमदृष्ट्या प्रकरण बनता है;

और, यतः; राज्य सरकार द्वारा यह आवश्यक और समीचीन समझा गया है कि उक्त अभियुक्त पर मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाना चाहिए;

अतएव, मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह घोषणा करती है कि उक्त अपराध पर मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के अधीन कार्यवाही की जाएगी।

स्थान: भोपाल

तारीख 30 नवम्बर 2016.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. के. वार्ष्ण्य, प्रमुख सचिव.